फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

राजेश बनाम **बनवारी आदि**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 24/20 सन–2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील मे जारी हुए
16.03.2020	प्रार्थी/सायल की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण/गैरसायल इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 71/55 की कुल 8.1060हैक भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाई रखी जावे। रास्ते खाला पर स्थगन आदेश लागू नही होगा। यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 23.04.2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	130 11/03 20.3.20
23.4.20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दि0 ..... को पेश हो। 24.6.20	
24.6.20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दि0 ..... को पेश हो। 23.9.20	
11.9.20	वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेश की गई सायल के सायल साहब के निवेदन पर पत्रावली को रजिस्टर्ड से रद्द किया प्रार्थना पत्र बाद वापस लगाने चाहे कारिज किया जाता है सायल स्वयं के द्वारा अपना दावा वापस लेने के कारण खारिज किया जाता व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो	राजेश उपखण्ड अधिकारी नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner